न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सं. 14/2020 अन्तर्गत धारा 88, आरटीए, 1955 एवं 136 आरएलआर, 1956

अनवानः–

वादी–

1. नगसिंह पुत्र श्री राजूसिंह जाति राजपूत निवासी–पालडी सालंकियान तहसील–सांचौर

प्रतिवादी–

1.सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

उपस्थित

वकील वादीः–1. प्रकाश चंद्र पुरोहित

प्रतिवादी–2.तहसीलदार सांचौर

निर्णय

दिनांक–25.02.2021

वादी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया कि सरहद मौजा पालडी सालंकियान पटवार हल्का पालड़ी सालंकियान तहसील साचौंर में वादी का खेत खाता नंबर 209, खसरा संख्या 1231 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1392/1230 रकबा 0.54 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.55 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त आराजी में राजूसिंह की फौत होने के पश्चात फौतेदगी का नामांतरण संख्या 251 भरते वक्त पटवारी हल्का द्वारा लिपिकीय भूलवश वादी का नाम नगसिंह पुत्र राजूसिंह की जगह मगसिंह पुत्र राजूसिंह लिख दिया। जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज में नाम नगसिंह पुत्र राजूसिंह है। वादी का नगसिंह की जगह मगसिंह लिख दिये जाने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे सुधार कर नगसिंह के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायसंगत है। मुझ वादी का नाम नगसिंह के स्थान पर मगसिंह दर्ज करने की जानकारी मुझे पूर्व में नहीं रही अभी राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर मुझे जानकारी में आया कि मेरा नाम नगसिंह की जगह मगसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिस पर दावा माननीय न्यायालय में पेश है। माननीय न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकोर्ड में मेरा नाम मगसिंह की जगह नगसिंह किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी [illegible] ने उपस्थित होकर अपना जवाब इस कदर पेश किया कि ग्राम पालड़ी सोलंकि[illegible] त[illegible]ल सांचौर में वादी नगसिंह अपनी खातेदारी कब्जा काश्त खाता नंबर 209 खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1392/1230 रकबा 0.54 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.55 हैक्टेयर जमाबंदी संवत [illegible]74 में मगसिंह पुत्र राजूसिंह राजपूत की जगह नगसिंह पुत्र रा[illegible]सिंह राजपूत दर्ज करवा[illegible] [illegible] है। मगसिंह पुत्र राजूसिंह प्रथम भू–प्रबंधन से चला आ रहा है। वादी को ग्राम पालड़ी सोलंकियान में नगसिंह पुत्र राजूसिंह नाम से जाना जाता है एवं वादी के दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र, राशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.03 10:54:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Scanned by CamScanner

कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक में भी नगसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज है जिसके आधार पर वादी का राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में भी नगसिंह पुत्र राजूसिंह की जाने की घोषणा किया जाना उचित है।

वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा शैतानसिंह एवं नगसिंह पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम नगसिंह पुत्र राजूसिंह है मगर राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल से मगसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का सही नाम नगसिंह है, उनके नाम से जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र इत्यादि सभी दस्तावेजों में नगसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज है। तथा वादी को ग्राम पालड़ी सोलंकियान में भी शुरू से नगसिंह पुत्र राजूसिंह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल से नगसिंह के स्थान पर मगसिंह लिख दिया है जिसे सही नाम नगसिंह किया जाना न्यायसंगत है।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मौजा पालड़ी सोलंकियान पटवार हलका पालड़ी सोलंकियान के खाता नंबर 209, खसरा संख्या 1231 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1392/1230 रकबा 0.54 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.55 हैक्टेयर में वादी का नाम मगसिंह की जगह नगसिंह पुत्र राजूसिंह राजपूत किया जाना न्यायसंगत है।

तहसीलदार सांचौर ने भी अपने जवाब में वादी का नाम मगसिंह की जगह नगसिंह पुत्र राजूसिंह राजपूत किये जाना उचित बताया है। वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा पालड़ी सोलंकियान पटवार हल्का पालड़ी सोलंकियान के खाता नंबर 209, खसरा संख्या 1231 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1392/1230 रकबा 0.54 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.55 हैक्टेयर में मगसिंह की जगह नगसिंह पुत्र राजूसिंह राजपूत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावें।

सहायक कलेक्टर-सांचोर
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.03.03 10:54:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

Scanned by CamScanner